रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 2001/पौष 18, 1922

No. 12] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 2001/PAUSA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2001

सं. 2/2001-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 12(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना स0 16/2000–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 मे निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना मे,–

(1) सारणी मे, कम स0 338 और उससे सबद्ध प्रविष्टियो के पश्चात्, निम्नलिखित कम सख्या और प्रविष्टियाँ अत स्थापित की जायेगी, अर्थात –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"338 क	98 01	भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के सयुक्त सचिव से अन्यून की पक्ति के किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित 440 मे0वा0 या उससे अधिक की क्षमता वाली, सूची 34 मे विनिर्दिष्ट, किसी नाभिकीय शक्ति परियोजना को स्थापित करने हेतु अपेक्षित माल	शून्य	शून्य	80क",

(2) उपबंध में, शर्त संख्या 80 और उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त सख्या और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:–

शर्त सं0	शर्तें
"80क.	(क) भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति का कोई अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि :– (i) विद्युत केता राज्य ने एक विनिमायक आयोग का गठन किया है जिसके पास टैरिफ निर्धारित करने की पूरी शक्ति है, (ii) विद्युत केता राज्य विद्युत मंत्रालय द्वारा तय की हुई अवधि के अंदर उस राज्य में एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों में से प्रत्येक शहर मे वितरण कार्य को गैर–सरकारी करने का वचन देता है, और (iii) विद्युत केता राज्य ने विद्युत के कय से संबंधित किसी बकाया भुगतान के निर्मोचन के लिए केन्द्रीय योजना आंबटन और अन्य न्यागमन के राज्य के अश में सहायता देने का करार किया है; (ख) किसी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपकम द्वारा आयातों के मामले मे, आयातित माल की मात्रा, कुल मूल्य, ब्यौरा और विनिर्देशन को उक्त केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपकम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रमाणित किए जाते है ।"

(3) सूची 33 के उपरांत निम्नलिखित सूची अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"सूची 34 (सारणी का कम सं0 338क देखिए)

1 तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र – 3 एवं 4 (महाराष्ट्र) – 1000 मेगावाट
2. कुडांकुलम (तमिलनाडु) – 2000 मेगावाट
3. काएगा – 3 एवं 4 (कर्नाटक) – 440 मेगावाट ।"।

[फा. सं. 354/88/99-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव

टिप्पण :– मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना स 16/2000–सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 [सा का नि 168 अ., तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अतिम सशोधन अधिसूचना स 142/2000–सीमाशुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 2000 [सा का नि 881 अ., तारीख 21 नवम्बर, 2000] द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2001

No. 2/2001-Customs

G.S.R. 12(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby

makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.16/2000-Customs, dated the 1st March, 2000, namely :-

In the said notification,-

(1) in the Table, after serial number 338 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"338A.	98.01	Goods required for setting up of any Nuclear Power Project specified in List 34, having a capacity of 440 MW or more, as certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy.	Nil	Nil	80A" ;

(2) in the ANNEXURE, after Condition No. 80 and the entries relating thereto, the following condition number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Condition No.	Conditions
"80A.	(a) If an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy certifies that- (i) the power purchasing State has constituted the Regulatory Commission with full powers to fix tariffs; (ii) the power purchasing State undertakes, in principle, to privatise distribution in all cities, in that State, each of which having a population of more than one million, within a period to be fixed by the Ministry of Power; and (iii) the power purchasing State has agreed to provide recourse to that State's share of Central Plan allocations and other devolutions towards discharge of any outstanding payment in respect of purchase of power; (b) In the case of imports by a Central Public Sector Undertaking, the quantity, total value, description and specifications of the imported goods are certified by the Chairman and Managing Director of the said Central Public Sector Undertaking.";

(3) after List 33, the following List shall be inserted, namely:-

"List 34 (See S. No. 338A of the Table)

1. Tarapur Atomic Power Plants -3 and 4 (Maharashtra) – 1000 MW
2. **Kudankulam** (Tamil Nadu) – 2000 MW
3. Kaiga – 3 and 4 (Karnataka) – 440 MW.".

[F. No. 354/88/99-TRU]

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy.

Note.— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 16/2000-Customs, dated the 1st March, 2000 [G.S.R. 168 (E), dated the 1st March, 2000] and was last amended by Notification No. 142/2000 – Customs, dated the 21st November, 2000 [G.S.R. 881 (E), dated the 21st November, 2000].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054